[2018] 10 एस. सी. आर. 76

शैलेश मनुभाई परमार

वी.

भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से

प्रमुख चुनाव आयोग और ओआरएस।

(2017 की लिखित याचिका (सिविल) No.631)

21 अगस्त, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कला. 80 (4) – राज्यों की परिषद के लिए चुनाव "उपरोक्त में से कोई नहीं" (नोटा) विकल्प की प्रयोज्यता-चुनाव आयोग

राज्य परिषद के चुनावों में नोटा को लागू करना यू/आर्ट द्वारा चुनौती दी गई। 32 संविधान का-आयोजितः संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रत्यक्ष चुनावों के लिए नोटा की शुरुआत की गई थी-प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव के बीच अंतर है-राज्य परिषद के चुनाव के लिए नोटा का विकल्प, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव है, न केवल लोकतंत्र की शुद्धता को कम करेगा, बल्कि दलबदल और भ्रष्टाचार के शैतान की भी सेवा करेगा।

रिट याचिका को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. चुनाव आयोग ने इलाज किया है

पी. यू. सी. एल. के मामले में इसकी शक्ति के स्रोत के रूप में घोषणा। पी. यू. सी. एल. में निर्णय प्रत्यक्ष चुनावों से संबंधित है। वास्तव में, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निर्देश संसद और राज्य विधानसभाओं से संबंधित हैं जो निर्वाचन क्षेत्र आधारित हैं

और मतदाताओं को नोटा का लाभ उठाने का विकल्प देता है।

उक्त निर्णय में संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदत्त सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और मतदान केंद्र पर आने और किसी भी उम्मीदवार को वोट देने का निर्णय लेने या वोट न देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक मतदाता की पात्रता पर जोर दिया गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनावों के बीच अंतर रहा है। [पैरा 18] [92-डी-एफ]

कुलदिप नायर और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य

(2006) 7 एससीसी 1: [2006] 5 पूरक। एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

76 शैलेश मनुभाई परमार बनाम। चुनाव

भारत आयोग

2. राज्य परिषद के चुनाव में खुले मतदान होता है।

बैलेट और इसे पार्टी अनुशासन के मूलभूत मूल्यों को बनाए रखने और किसी भी प्रकार के क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए पेश किया गया है जिससे चुनाव प्रक्रिया में शुद्धता सुनिश्चित हो सके। इन्हें लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल मूल्यों के रूप में माना गया है। राज्य परिषद के सदस्यों के लिए मतदान में, एक निर्वाचक द्वारा मतदान की प्रकृति एक गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के चुनाव में पार्टी का व्हिप होता है और मतदाता पार्टी के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होता है। इस तरह के चुनाव में पार्टी का अनुशासन है

अत्यधिक महत्व, इसके लिए अस्तित्व का आधार है

राजनीतिक दल। संसदीय लोकतंत्र में यह आवश्यक है। क्रॉस वोटिंग और भ्रष्टाचार का विचार इस तरह में अप्रिय है।

एक मतदान। [पैरा 19] [93-ई-जी]

किहोतो होलोहन बनाम। ज़चिल्लू और अन्य (1992) 2 पूरक। एस. सी. सी. 651 [1992] 1 एस. सी. आर. 686 संदर्भित।

3. में दसवीं अनुसूची की शुरूआत

राजनीतिक दलबदल की बुराई को खत्म करने के लिए संविधान (बावनवा संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान लागू किया गया था। उद्देश्यों और कारणों के कथन और दलबदल को खारिज करने के लिए अयोग्यता की अवधारणा की गहन जांच पर, यह स्पष्ट है

कि यह अप्रत्यक्ष रूप से नोटा की शुरुआत से पराजित हो जाता है। [पैरा 22] [95-एफ; 96-बी] 4. लोकतंत्र में चुनाव की शुद्धता स्पष्ट रूप से अनिवार्य है। लोकतांत्रिक निकाय राजनीति निर्धारित करती है कि

लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट विचार भ्रष्टाचार के लिए घृणित है और कानून संवैधानिक नैतिकता की निरंतर पुष्टि द्वारा वास्तविक व्यवस्था, सकारात्मक औचित्य, समर्पित अनुशासन और आशावादी पवित्रता की व्यापकता पर जोर देते हैं जो सुशासन का स्तंभ है। लोकतंत्र की शुद्धता टिक नहीं पाती है ऐसा कुछ भी जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ में एक लाइलाज खाई पैदा करने की क्षमता हो। कानून का उद्देश्य इसे समाप्त करना है। जब कोई राज्य परिषद की मतदान प्रक्रिया में नोटा की पसंद के अभ्यास का विश्लेषण करता है जहां खुला मतपत्र [2018] 10 एस. सी. आर. होता है।

मतदान की अनुमति और गोपनीयता के लिए कोई जगह नहीं है और आगे जहां राजनीतिक दल/दलों का अनुशासन मायने रखता है, यह स्पष्ट है कि इस तरह के विकल्प का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। [पैरा 23] [96-बी-डी]

मनोज नरूला बनाम। भारत संघ (2014) 9 एससीसी 1:

[2014] 9 एस. सी. आर. 965-पर निर्भर।

5. एक निर्वाचक, हालांकि एक एकल मतदाता होता है, उसके वोट का एक मात्रात्मक मूल्य होता है और अधिशेष वोट हस्तांतरणीय होते हैं। वहाँ है।

निर्वाचित होने के बाद उम्मीदवार राज्य का प्रतिनिधि बन जाता है और किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इन सभी पहलुओं का संचयी प्रभाव स्पष्ट रूप से बताता है कि चुनाव प्रक्रिया में नोटा की शुरुआत राज्य परिषद के सदस्य लोकतंत्र के मौलिक मानदंड के लिए अभिशाप होंगे जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। [पैरा 23] [96-ई-एफ]

6. इस तरह के चुनाव में नोटा की शुरुआत न केवल उस अनुशासन के विपरीत होगी जो संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत एक मतदाता से अपेक्षित है, बल्कि दलबदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता के कानून के मूल व्याकरण के प्रतिकूल। यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जो सीधे नहीं किया जा सकता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। यदि राज्यों की परिषद के सदस्यों के चुनाव में नोटा की अनुमति है, तो इसके निषिद्ध पहलू

8. चुनाव आयोग को संसद द्वारा बनाए गए कानून के चारों कोनों के भीतर काम करना पड़ता है। इसके अलावा, यदि इस न्यायालय द्वारा चुनाव की शुद्धता को आगे बढ़ाने के प्रावधान की व्याख्या करते हुए कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो यह चुनाव आयोग की ओर से अनिवार्य होगा। आयोग उसी के अनुसार कार्य करेगा।

आयोग शैलेश मनुभाई परमार बनाम। भारत का चुनाव आयोग

कुछ अवधारणाओं या विचारों की कल्पना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है या उस मामले के लिए, एक अलग आयाम के बारे में सोचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो कानूनी ढांचे में फिट नहीं होगा। [पैरा 26] [99-ए-बी]

9. अप्रत्यक्ष चुनावों में नोटा की शुरुआत

इस तरह के चुनाव में एक निर्वाचक की भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और लोकतांत्रिक मूल्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। नोटा का विकल्प प्रत्यक्ष चुनावों में एक अमृत के रूप में काम कर सकता है, लेकिन राज्यों की परिषद के चुनाव के संबंध में, जो एक अलग चुनाव है, यह न केवल लोकतंत्र की शुद्धता को कमजोर करेगा, बल्कि दलबदल और भ्रष्टाचार के शैतान की भी सेवा करेगा। [पैरा 27] [99-ई, एफ-जी]

* पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड अदर वी। संघ

भारत और अन्य (पी. यू. सी. एल.) (2013) 10 एस. सी. सी. 1:

[2013] 12 एस. सी. आर. 283; अनंग उदय सिंह देव बनाम।

रंगनाथ मिश्रा और अन्य (2002) 1 एस. सी. सी. 499:

[2001] 4 पूरक। एससीआर 88; लिली थॉमस बनाम। अध्यक्ष महोदय,

लोकसभा और अन्य (1993) 4 एस. सी. सी. 234: [1993] 1

पूरक। एससीआर 791; राम जवाया कपूर बनाम। पंजाब राज्य [1955] 2 एस. सी. आर. 225; बिशंभर दयाल चंद्र मोहन

और अन्य वी। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1982) 1 एससीसी 39: [1982] 1 एस. सी. आर. 1137-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2013] 12 एससीआर 283

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

[2001] 4 पूरक। एससीआर 88

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

[1993] 1 पूरक। एससीआर 791

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[2006] 5 पूरक। एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा 12

[1955] 2 एससीआर 225

पैरा 18

संदर्भित किया गया है

[1982] 1 एससीआर 1137

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[1994] 1 एससीआर 754

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[1992] 1 एससीआर 686

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[2014] 9 एससीआर 965

उस पर भरोसा करें

[2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सिविल)

2017 का सं. 631।

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., तुषार मेहता, ए. एस. जी., डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , देवदत्त कामत, जावेदुर रहमान, मोहम्मद। निजाम पाशा, अमित भंडारी, आदित्य भट, राजेश इनामदार, फारुख रशीद, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री अयियाला इमती, मेरुसागर सामंत्रे, सुश्री माधवी दीवान, सुश्री लिंगनेवा, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा, सीजेआई 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रस्तुत तत्काल रिट याचिका में, याचिकाकर्ता जो गुजरात विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, ने राज्य परिषद के लिए चुनाव के संचालन के संबंध में सचिव, गुजरात विधानमंडल सचिवालय, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 1 अगस्त, 2017 को जारी किए गए परिपत्र को चुनौती दी है। हालांकि परिपत्र में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, लेकिन उन्होंने "उपरोक्त में से कोई नहीं" (नोटा) विकल्प की उपलब्धता को चुनौती दी है।

2. यह दावा किया जाता है कि भारत के चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे

क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप को छोड़कर) ने निर्देश दिया कि नोटा का विकल्प राज्यसभा में चुनावों के लिए लागू हो सकता है और उक्त विकल्प को मतपत्र पर भाषा या भाषाओं में मुद्रित किया जाएगा।

जिसमें मतपत्र चुनाव आयोग द्वारा नियम 22 के उप-नियम (1) और चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 70 के साथ पठित नियम 30 के उप-नियम (1) के अनुसरण में जारी निर्देशों के अनुसार मुद्रित किया जाता है (संक्षेप में, 'नियम')। प्रथम उत्तरदाता द्वारा सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आगे के निर्देश देते हुए 12 नवंबर, 2015 को भेजे गए पत्र का संदर्भ दिया गया है। तरजीही प्रणाली में मतदान के तरीके के बारे में लेकिन हम केवल राज्यसभा चुनावों में नोटा के लागू होने से संबंधित हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के संबंध में चुनावों में नोटा लागू करने के लिए जारी किए गए परिपत्र अनुच्छेद के जनादेश के विपरीत हैं

80 (4) भारत के संविधान और पीपुल्स शैलेश मनुभाई परमार बनाम में इस न्यायालय का निर्णय।

यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और एक अन्य v. भारत संघ और दूसरा (पी. यू. सी. एल.) 1. यह राज्यसभा के संबंध में इस तरह का विकल्प पेश करने के लिए चुनाव आयोग की समझ को कोई समर्थन नहीं देता है।

चुनाव। यह माना जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 59 (संक्षिप्तता के लिए, '1951 अधिनियम') चुनावों में मतदान के तरीके का प्रावधान करती है और धारा 169 केंद्र सरकार को चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। के भाग VI का संदर्भ दिया गया है

नियम जो विधानसभा द्वारा चुनावों में मतदान के लिए विशेष प्रावधान करते हैं

सदस्यों और नियम 70 में प्रावधान है कि नियम 37 (8) से 40 ए लागू होंगे। उक्त नियमों की व्याख्या पर भरोसा करते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि ऊपर निर्दिष्ट नियमों और नियम 71 से 76 की योजना में नोटा की दूर से कल्पना नहीं की गई है, लेकिन इसे चुनाव आयोग द्वारा परिपत्र जारी करके लाया गया है और इसलिए, यह असंवैधानिक है।

3. प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि संवैधानिक अदालतें चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती हैं और चुनाव के बाद ही चुनौती दी जा सकती है।

उपयुक्त न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर करके; कि पी. यू. सी. एल. के मामले में निर्णय के अनुसार, दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव और इसलिए, चुनाव आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 79 ए के तहत मतदाताओं के अधिकार की गारंटी को प्रभावी बनाने के लिए चुनाव के मतपत्र में नोटा का प्रावधान राज्य सभा में लागू किया गया है; कि हालांकि राज्य सहबा चुनावों में गोपनीयता की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कानून इसे खुला मतदान बनाता है, फिर भी यह निर्वाचक के द्वारा मतदान नहीं करने के अधिकार को नहीं छीनता है।

एन. ओ. टी. ए. के विकल्प को व्यक्त करते हुए; कि यह स्थिति मानते हुए भी कि पी. यू. सी. एल. के मामले में निर्णय से यह संकेत नहीं मिलता है कि यह न्यायालय कभी भी राज्यसभा चुनावों में एन. ओ. टी. ए. के विकल्प को लागू करने का इरादा रखता है, फिर भी चुनाव आयोग ने 24 जनवरी, 2014 को पत्र जारी किया है और 12 नवंबर, 2015 को पत्र द्वारा दोहराया है कि एन. ओ. टी. ए. का विकल्प राज्यसभा में चुनावों पर लागू होगा; और यह कि उक्त विकल्प को लागू करके चुनाव पहले ही हो चुके थे और इसलिए, विलंबित चरण में उक्त निर्देशों को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है। यह ध्यान दिया जाए कि पहले दो बिंदुओं को प्रारंभिक आपत्तियों के रूप में आगे बढ़ाया गया था और उठाए गए अन्य सभी आधार प्रथम प्रतिवादी द्वारा जारी परिपत्र की वैधता से संबंधित थे।

1 1 (2013) 10 एससीसी 1 [2018] 10 एस. सी. आर.

4. हम तुरंत ध्यान दे सकते हैं कि एक की शुरुआत का मुद्दा

वर्तमान मामले में चुनाव प्रक्रिया उत्पन्न नहीं होती है। जहां तक रिट याचिका की स्थिरता के मुद्दे का संबंध है, उस संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया था और हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह सही है।

5. विवाद को समझने और उसकी सराहना करने के लिए, यह अनिवार्य है

संविधान के अनुच्छेद 80 (4) के तहत क्या परिकल्पना की गई है, इसकी जांच करना। अनुच्छेद 80 राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 80 (4) इस प्रकार हैः

विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाएगा प्रणाली के अनुसार राज्य की विधानसभा

एकल हस्तांतरणीय के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व

वोट करें "।

6. अनंग उदय सिंह देव बनाम। रंगनाथ मिश्रा और

अन्य 2, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य परिषद के चुनाव की प्रकृति पर विचार किया है। से कुछ अंशों को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी है

समानः

निर्वाचन क्षेत्र। सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी उम्मीदवार किसी निर्वाचन क्षेत्र को आबंटित किए गए मतपत्र पर उनके नाम मुद्रित हों।

कागज। प्रत्येक निर्वाचक के पास इस अर्थ में केवल एक वोट है कि यह होगा

निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों के हाथों को स्थानांतरित कर दिया जाता है तब के उम्मीदवार "।

एक्स

एक्स

एक्स

ए

क्स

43. नियम 74 में प्रावधान है कि निर्वाचन अधिकारी ने अस्वीकार करने के बाद

अमान्य मतपत्र शेष मतपत्रों की व्यवस्था करते हैं।

प्रत्येक के लिए दर्ज की गई पहली पसंद के अनुसार पार्सल में

उम्मीदवार; प्रत्येक पार्सल में कागजातों की संख्या गिनें और दर्ज करें

2 (2002) 1 एस. सी. सी. 499 शैलेश मनुभाई परमार बनाम। भारत का चुनाव आयोग [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

100 का मूल्य, और एक की वापसी को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त कोटा चुनाव में उम्मीदवार का निर्धारण मूल्य जोड़कर किया जाएगा।

सभी उम्मीदवारों को श्रेय दिया जाता है और फिर कुल संख्या को एक संख्या से विभाजित किया जाता है

जो भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या से एक से अधिक है और फिर शेष, यदि कोई हो, को नजरअंदाज करते हुए भागफल में एक को जोड़ना और

परिणामी संख्या कोटा है। सरल शब्दों में यह काम करेगा।

निम्नानुसारः मतपत्रों की कुल संख्या + 1

= = कोटा

निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या + 1 44. नियम 78 में यह प्रावधान है कि यदि किसी गणना के अंत में या अंत में

किसी बहिष्कृत उम्मीदवार के किसी भी पार्सल या उप-पार्सल के हस्तांतरण का

एक उम्मीदवार को जमा किए गए मतपत्रों का मूल्य इसके बराबर है, या कोटा से अधिक, उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

7. वर्तमान में हम नियमों के नियम 79,80 और 81 का उल्लेख कर सकते हैं।

एच निम्नलिखित रूप में पढ़ता हैः

" 79. अधिशेष का हस्तांतरण। — (1) अगर किसी गिनती के अंत में

एक उम्मीदवार को जमा किए गए मतपत्रों का मूल्य उससे अधिक है

कोटा के अनुसार, अधिशेष हस्तांतरित किया जाएगा

इस नियम के प्रावधान, जारी उम्मीदवारों के लिए जिन पर संकेत दिया गया है

उस उम्मीदवार के मतपत्र अगले क्रम में होने के रूप में

निर्वाचक की प्राथमिकता। (2) यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के पास अधिशेष है, तो सबसे बड़ा अधिशेष

पहले और अन्य को परिमाण के क्रम में निपटाया जाएगाः

बशर्ते कि पहली गणना पर उत्पन्न होने वाले प्रत्येक अधिशेष का निपटान किया जाएगा

उन लोगों से पहले जो दूसरी गिनती पर उत्पन्न होते हैं और इसी तरह।

(3) जहाँ वितरित करने के लिए एक से अधिक अधिशेष हैं और

दो या दो से अधिक अधिशेष बराबर हैं, मूल को ध्यान में रखा जाएगा प्रत्येक उम्मीदवार और उम्मीदवार के वोट जिनके लिए सबसे मूल हैं

मतों को दर्ज किया जाता है तो उसका अधिशेष पहले वितरित किया जाएगा; और यदि

उनके मूल मतों के मूल्य बराबर हैं, निर्वाचन अधिकारी

लॉट द्वारा तय करेगा कि किस उम्मीदवार के पास पहले उसका अधिशेष होगा

वितरित किया।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(4) (क) यदि स्थानांतरित किए जाने वाले किसी भी उम्मीदवार का अधिशेष केवल मूल मतों से उत्पन्न होता है, तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार के पार्सल में सभी कागजातों की जांच करेगा,

(ख) वह प्रत्येक उप-पार्सल में और सभी अप्रयुक्त कागजातों के मूल्य का पता लगाएगा। (ग) यदि अप्रचलित कागजों का मूल्य इसके बराबर या उससे कम है।

अधिशेष, वह सभी अप्रयुक्त कागजातों को उस मूल्य पर हस्तांतरित करेगा जिस पर वे उस उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए थे जिसका अधिशेष हस्तांतरित किया जा रहा है।

(घ) यदि अप्रयुक्त कागजों का मूल्य अधिशेष से अधिक है, तो वह अप्रयुक्त कागजों के उप-पार्सल को हस्तांतरित करेगा और प्रत्येक पेपर को किस मूल्य पर स्थानांतरित किया जाएगा, इसका पता अधिशेष को अप्रयुक्त कागजों की कुल संख्या से विभाजित करके लगाया जाएगा।

(5) यदि स्थानांतरित किए जाने वाले किसी भी उम्मीदवार का अधिशेष हस्तांतरण के साथ-साथ मूल मतों से उत्पन्न होता है, तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार को अंतिम बार हस्तांतरित किए गए उप-पर्चे में सभी कागजातों की फिर से जांच करेगा, अप्रयुक्त कागजातों को उप-पार्सल में विभाजित करेगा।

उस पर दर्ज अगली प्राथमिकताओं के अनुसार, और फिर सौदा करें

उप-पार्सलों के साथ उसी तरीके से जो उप-नियम (4) में निर्दिष्ट उप-पार्सलों के मामले में प्रदान किया गया है।

(6) प्रत्येक उम्मीदवार को हस्तांतरित किए गए कागजात इसमें जोड़े जाएंगे।

ऐसे उम्मीदवार के पहले से संबंधित कागजातों के लिए एक उप-पार्सल का रूप।

(7) एक निर्वाचित उम्मीदवार के पार्सल या उप-पार्सल में सभी कागजात

इस नियम के तहत स्थानांतरित नहीं किया गया है, जैसा कि अंत में निपटाया गया है, अलग रखा जाएगा।

80. चुनाव में सबसे कम उम्मीदवारों को बाहर किया गया। — (1) यदि सभी अधिशेषों को स्थानांतरित कर दिया गया है जैसा कि पहले प्रदान किया गया है, तो निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या आवश्यक संख्या से कम है,

निर्वाचन अधिकारी मतदान में सबसे कम मतदान करने वाले उम्मीदवार को मतदान से बाहर कर देगा और अपने अप्रयुक्त कागजात शैलेश मनुभाई परमार बनाम के बीच वितरित करेगा।

(4) ऐसे प्रत्येक हस्तांतरण को एक अलग हस्तांतरण माना जाएगा, लेकिन एक अलग गणना नहीं। (5) यदि, कागजातों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का मूल्य कोटा के बराबर या उससे अधिक है, तो गणना तब कार्यवाही पूरी की जाएगी लेकिन आगे कोई कागजात उसे हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

(6) इस नियम द्वारा निर्देशित प्रक्रिया को चुनाव में सबसे कम उम्मीदवारों के एक के बाद एक क्रमिक बहिष्करण पर दोहराया जाएगा जब तक कि ऐसी रिक्ति कोटा के साथ किसी उम्मीदवार के चुनाव द्वारा या इसके बाद प्रदान किए गए अनुसार नहीं भरी जाती है।

(7) यदि किसी भी समय किसी उम्मीदवार को बाहर करना आवश्यक हो जाता है और दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के पास मतों का समान मूल्य है और मतदान में सबसे कम हैं, तो प्रत्येक उम्मीदवार और उम्मीदवार के मूल मतों को ध्यान में रखा जाएगा जिनके लिए सबसे कम मूल वोट हैं।

अभिलिखित किए गए मतों को बाहर रखा जाएगा और यदि उनके मूल मतों के मूल्य बराबर हैं तो सबसे पहले गणना में सबसे कम मूल्य वाले उम्मीदवार जिनके पास असमान मूल्य थे,

बहिष्कृत। (8) यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार मतदान में सबसे कम हैं और प्रत्येक का सभी गणनाओं में वोटों का मूल्य समान है, तो निर्वाचन अधिकारी लॉट द्वारा तय करेगा कि किस उम्मीदवार को बाहर रखा जाएगा।

81. अंतिम रिक्तियों को भरना। — (1) जब किसी के अंत में

निरंतर उम्मीदवारों की संख्या को घटाकर रिक्त रिक्तियों की संख्या तक सीमित कर दिया जाता है, निरंतर उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(2) जब किसी गणना के अंत में केवल एक रिक्ति खाली रहती है और किसी एक उम्मीदवार के कागजात का मूल्य अन्य सभी जारी उम्मीदवारों के कागजात के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है और कोई अधिशेष हस्तांतरित नहीं किया जाता है, तो उस उम्मीदवार को -

निर्वाचित घोषित किया गया। (3) जब किसी भी गिनती के अंत में केवल एक रिक्ति खाली रहती है और केवल दो उम्मीदवार जारी रहते हैं और उनमें से प्रत्येक

यदि मतों का समान मूल्य है और कोई अधिशेष हस्तांतरण करने में सक्षम नहीं रहता है, तो निर्वाचन अधिकारी लॉट द्वारा तय करेगा कि उनमें से किसे बाहर रखा जाएगा; और उसे उपरोक्त तरीके से बाहर करने के बाद, दूसरे उम्मीदवार के निर्वाचित होने की घोषणा करें।

8. अनंग उदय सिंह देव (ऊपर) में, उक्त की व्याख्या करते हुए

5 , न्यायालय ने कहाः

" 46. नियम 79 उस स्थिति में लागू होता है जब किसी उम्मीदवार या एक से अधिक उम्मीदवार को आवश्यक कोटे से अधिक वोट मिले हों। यदि किसी गणना के अंत में किसी उम्मीदवार को जमा किए गए मतपत्रों का मूल्य कोटा से अधिक है, तो अधिशेष इस नियम के प्रावधानों के अनुसार, उस उम्मीदवार के मतपत्रों पर मतदाता की वरीयता के क्रम में अगले के रूप में इंगित किए गए निरंतर उम्मीदवारों को हस्तांतरित किया जाएगा। शेष उम्मीदवारों के पक्ष में वरीयता के क्रम में अधिशेष मतों का निर्धारण करने के बाद, अधिशेष मत शेष उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं और उस उम्मीदवार द्वारा डाले गए मतों के मूल्य में जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में यदि कोई उम्मीदवार अपेक्षित कोटे तक पहुंच जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है।

उम्मीदवार मतदान में सबसे कम है और अगले के अनुसार जारी उम्मीदवारों के बीच अपने अप्रचलित मतपत्र वितरित करता है। उस पर वरीयता दर्ज की गई। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि रिक्तियों की कुल संख्या नहीं भर दी जाती।

न्यायालय द्वारा किए गए उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि एक निर्वाचक का एक निश्चित मूल्य है और अतिरिक्त शैलेश मनुभाई परमार v का हस्तांतरण होता है।

9. पी. यू. सी. एल. के मामले में, नियमों के नियम 41 (2), 41 (3) और 49-ओ की संवैधानिक वैधता को इस हद तक चुनौती दी गई थी कि उक्त नियम

मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन करता है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा के लिए मौलिक है और 1951 के अधिनियम की धारा 128 और नियमों के नियम 39 और 49-एन के अनुसार बनाए रखने की आवश्यकता है। न्यायालय ने लिली थॉमस बनाम में निर्णय का उल्लेख किया। अध्यक्ष, लोकसभा और अन्य 3 जिसमें यह कहा गया है कि मतदान उस व्यक्ति द्वारा इच्छा या राय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो प्रश्नगत विषय या मुद्दे पर अधिकार का प्रयोग करने का हकदार है और मतदान के अधिकार का अर्थ है प्रस्ताव या प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार और इस तरह के अधिकार का अर्थ तटस्थ रहने का अधिकार भी है। इसके बाद, न्यायालय ने 1951 के अधिनियम की धारा 79 और नियमों के नियम 41 (2), 41 (3) और 49-ओ का उल्लेख किया और राय दी कि नियम यह स्पष्ट करते हैं कि मतदान नहीं करने का अधिकार दिया गया है। 1951 के अधिनियम और नियमों दोनों के तहत मान्यता प्राप्त। इसने आगे व्यक्त कियाः

..... एक सकारात्मक "मतदान न करने का अधिकार" एक संसदीय लोकतंत्र में एक मतदाता की अभिव्यक्ति का एक हिस्सा है और इसे मान्यता दी जानी चाहिए और

"मतदान का अधिकार" के रूप में उसी तरीके से प्रभाव दिया गया। एक मतदाता कई कारणों से चुनाव में मतदान करने से बच सकता है, जिसमें यह कारण भी शामिल है कि वह मैदान में किसी भी उम्मीदवार को अपने वोट के योग्य नहीं मानता है। इस तरह की अभिव्यक्ति का एक तरीका मतदान से दूर रहना हो सकता है, जो एक कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार नागरिक के लिए एक आदर्श विकल्प नहीं है। इस प्रकार, इसे प्रभावी बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि उस अधिकार को व्यक्त करने के लिए ई. वी. एम. में एक बटन दिया जाए। यदि एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्थायी मूल्यों को बनाए रखना है, तो यह बुनियादी आवश्यकता है, जिसे चुनाव

आयोग ने न केवल मान्यता दी है बल्कि दावा भी किया है।

10. अदालत ने चुनाव आयोग के इस रुख पर विचार किया कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने के व्यापक हित में, इस तरह के विकल्प के अलावा, ई. वी. एम./मतपत्रों में नोटा का प्रावधान किया जाना चाहिए।

लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देने से, निर्वाचक को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ अपनी असहमति या अस्वीकृति व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और उसे फर्जी मतदान को कम करने का लाभ मिलेगा। अंततः, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नियमों के नियम 41 (2) और 41 (3) और नियम 49-ओ 1951 के अधिनियम की धारा 128 और संविधान के अनुच्छेद 19 के अधिकार से बाहर हैं, इस हद तक कि वे मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं।

हालांकि, अदालत ने कहाः

" 57. किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने का मतदाता को अधिकार देना, जबकि

गोपनीयता के अपने अधिकार की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है

लोकतंत्र। इस तरह का विकल्प मतदाता को अपनी बात रखने का अधिकार देता है।

जिस तरह के उम्मीदवारों को खड़ा किया जा रहा है, उससे अस्वीकृति

राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दलों को कब पता चलेगा कि

उनके द्वारा उम्मीदवारों को रखा जा रहा है, धीरे-धीरे एक प्रणालीगत होगा परिवर्तन और राजनीतिक दलों की इच्छा को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा

लोग और क्षेत्र के उम्मीदवार जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं।

58. दिशा का समर्थन इस तथ्य से भी किया जा सकता है कि मौजूदा प्रणाली में एक असंतुष्ट मतदाता आम तौर पर उपस्थित नहीं होता है

मतदान जो बदले में बेईमान तत्वों को एक मौका प्रदान करता है असंतुष्ट मतदाता का प्रतिरूपण करना और वोट डालना, चाहे वह एक

नकारात्मक। इसके अलावा, नकारात्मक मतदान का एक प्रावधान होगा

लोकतंत्र को बढ़ावा देने के हित में होना क्योंकि यह स्पष्ट रूप से भेजेगा

राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को संकेत देते हैं कि क्या

मतदाता उनके बारे में सोचते हैं।

[जोर दिया गया]

11. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, न्यायालय ने निर्देश दिया कि

चुनाव आयोग मतपत्रों/ई. वी. एम. में "उपरोक्त में से कोई नहीं (एन. ओ. टी. ए.)" नामक एक अन्य बटन के लिए आवश्यक प्रावधान करेगा ताकि

मतदाता, जो मतदान केंद्र पर आते हैं और मैदान में किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का फैसला करते हैं, वे गोपनीयता के अपने अधिकार को बनाए रखते हुए मतदान नहीं करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं।

12. इस संदर्भ में, निर्धारित सिद्धांत की समझ

कुलदिप नायर और अन्य बनाम। इस संबंध में भारत संघ और अन्य काफी शिक्षाप्रद हैं। संविधान पीठ ने अनुच्छेद 80 (1) (बी), 80 (1) (2), 80 (4) में उपयोग किए गए 'राज्यों के प्रतिनिधि' शब्दों की व्याख्या करते हुए फैसला सुनायाः

" 204. उनके स्पष्ट अर्थ दिए जाने पर, शब्द

" अनुच्छेद 80 (1) (बी), अनुच्छेद 80 (2) में राज्यों के प्रतिनिधि

और अनुच्छेद 80 (4) की व्याख्या उन व्यक्तियों के लिए की जानी चाहिए जो राज्य परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए। यह वह है

चुनाव जो निर्वाचित व्यक्ति को "प्रतिनिधि" बनाता है। में।

राज्यों की परिषद के लिए चुने जाने के योग्य होने के लिए, एक व्यक्ति

इससे पहले राज्य का प्रतिनिधि होने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल

जब वह राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है कि वह एक बन जाता है

4 (2006) 7 एस. सी. सी. 1 शैलेश मनुभाई परमार बनाम। भारत का चुनाव आयोग [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

राज्य का प्रतिनिधि। जो निर्वाचक मंडल द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाते हैं, जो वर्तमान उद्देश्यों के लिए

अर्थात् राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य अनिवार्य रूप से राज्य के "प्रतिनिधि" हैं।

एक निर्वाचित उम्मीदवार के लिए विरोधाभास जो प्रत्यक्ष चुनाव में मतदाताओं द्वारा चुना जाता है क्योंकि वह एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। 13. हम लाभ के साथ यह भी नोट कर सकते हैं कि उक्त मामले में, न्यायालय ने परिषद के चुनाव के लिए मतदान की गोपनीयता को स्वीकार किया था

राज्यों से। अदालत ने कहा कि "राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों में क्रॉस वोटिंग की उभरती प्रवृत्ति" के मद्देनजर, "खुले मतपत्र द्वारा" चुनाव शामिल किए गए थे। न्यायालय ने आगे कहा कि 2003 के अधिनियम 40 द्वारा लाए गए अधिनियम की धारा 59,94 और 128 में संशोधनों का संचयी प्रभाव यह है कि राज्य परिषद में सीटों को भरने के लिए चुनाव खुले मतदान द्वारा आयोजित किया जाना है और मतदान की गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकताओं को अब परंतुक में उल्लिखित अपवाद के अधीन किया गया है। न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की अवधारणा को स्वीकार किया और इस तर्क पर ध्यान दिया कि

पसंद का खुलासा या कोई डर या मजबूरी या यहां तक कि एक व्हिप के तहत एक राजनीतिक दबाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की अवधारणा के खिलाफ जाता है और इस तरह के डर या मजबूरी से प्रतिरक्षा केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब चुनाव गुप्त मतदान के सिद्धांत पर आयोजित किया जाए।

गुप्त मतपत्र और क्रॉस-वोट का दुरुपयोग और राजनीतिक दलों द्वारा संपार्श्विक और भ्रष्ट विचारों के लिए अनुशासन का उल्लंघन किया गया था, इसने एक खुले मतपत्र का प्रावधान करने के लिए कानून बनाया। न्यायालय ने आगे कहा कि गोपनीयता का सिद्धांत एक पूर्ण सिद्धांत नहीं है, हालांकि उक्त सिद्धांत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है। हालांकि, उच्च सिद्धांत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और चुनाव की शुद्धता है। वृहद पीठ ने आगे कहाः

“ 464. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतपत्र की गोपनीयता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हालाँकि, उच्च सिद्धांत स्वतंत्र और निष्पक्ष [2018] 10 एस. सी. आर. है।

चुनाव और चुनावों की शुद्धता। यदि गोपनीयता भ्रष्टाचार का स्रोत बन जाती है तो धूप और पारदर्शिता में इसे दूर करने की क्षमता होती है। हम केवल यह कह सकते हैं कि एक विधायी नीति के अनुसार कानून कि पारदर्शिता उस बुराई को समाप्त कर देगी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बड़े उद्देश्य को पूरा करेगी।

15. हम वर्तमान में 24.01.2014 पर चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लेख कर सकते हैं। पी. यू. सी. एल. के निर्णय और राज्यसभा के नोटा जी चुनावों के विकल्प की प्रयोज्यता के संबंध में व्यक्त किए गए निर्णय का उल्लेख करने के बाद, आयोग ने इस प्रकार निर्देश दिया हैः

" आयोग ने इस मामले पर गंभीरता से विचार किया है और यह निर्णय लिया गया है कि नोटा विकल्प राज्यसभा के चुनावों के लिए भी लागू होगा। तदनुसार, आयोग एतद्वारा निर्देश देता है कि मतपत्र पर अंतिम उम्मीदवार के नाम और विवरण के बाद एक और पैनल प्रदान किया जा सकता है और शब्द "इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त (नोटा) "उस भाषा या भाषाओं में मुद्रित किया जाएगा जिसमें चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 70 के साथ पठित नियम 22 के उप-नियम (1) और नियम 30 के उप-नियम (1) के अनुसरण में आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मतपत्र मुद्रित किया जाता है।

2. कृपया उपरोक्त निर्देशों को राज्य परिषद के चुनाव कराने के लिए निर्वाचन अधिकारियों के ध्यान में लाएं। राज्य सभा के वर्तमान द्विवार्षिक चुनावों के दौरान होने वाले रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही घोषणा की गई थी

अप्रैल 2014 का महीना और राज्य सभा के सभी भावी चुनाव। 3. मतपत्र की अंकन के संबंध में आवश्यक निर्देश

"उपरोक्त में से कोई नहीं" के विकल्प का प्रयोग करने के लिए और उपरोक्त विकल्प को देखते हुए वोटों की गिनती जल्द ही जारी की जाएगी।

16. 12.11.2015 पर एक और परिपत्र जारी किया गया है जो बताता है

इस प्रकारः

" 2. आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मतदाताओं ने प्रथम को चिह्नित किया है।

उम्मीदवारों में से किसी एक के खिलाफ वरीयता क्रॉस मार्क डालती है या नोटा के खिलाफ बाद की वरीयता (दूसरी, तीसरी, आदि) का उल्लेख किया गया है, जिसके कारण मतपत्र को अस्वीकार कर दिया गया है। ऐसे मामलों के आलोक में, आयोग ने इस मामले पर नए सिरे से विचार किया है और सीई नियमों के नियम 73 (2) का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया है।

1961 और शैलेश मनुभाई परमार के प्रति एक समान दृष्टिकोण अपनाना।

भारत का चुनाव आयोग [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

नोटा विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता और एकल हस्तांतरणीय वोट का उपयोग करके तरजीही प्रणाली में मतदान करने का तरीका, आयोग ने राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के चुनावों में नोटा विकल्प का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

(i) एन. ओ. टी. ए. के विरुद्ध चिन्हांकन अंक 1,2,3 आदि लिखने के माध्यम से किया जाएगा जैसा कि उम्मीदवारों के लिए वरीयता को चिह्नित करने के मामले में होता है। अर्थात भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भी भारतीय भाषा में;

(ii) यदि वरीयता '1' को नोटा के विरुद्ध चिह्नित किया जाता है, तो इसे किसी भी उम्मीदवार के लिए मतदान नहीं करने के मामले के रूप में माना जाएगा और इस तरह के मतपत्र को अमान्य माना जाएगा, भले ही '1' को नोटा के खिलाफ चिह्नित करने के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार के खिलाफ भी चिह्नित किया गया हो।

(iii) यदि किसी एक उम्मीदवार के खिलाफ पहली वरीयता वैध रूप से चिह्नित की जाती है, और नोटा के खिलाफ दूसरी वरीयता चिह्नित की जाती है, तो ऐसे मतपत्र को उस उम्मीदवार के लिए वैध माना जाएगा जिसके लिए

1 पहली वरीयता को चिह्नित किया गया है, बशर्ते कि नियम 73 (2) के तहत इसे अमान्य करने का कोई अन्य आधार न हो। ऐसे मामले में, दूसरी वरीयता की जांच के चरण में, मतपत्र को समाप्त माना जाएगा क्योंकि दूसरी वरीयता नोटा के खिलाफ चिह्नित है। इसी तरह, यदि पहली और दूसरी वरीयताओं को एक-एक उम्मीदवार के खिलाफ वैध रूप से चिह्नित किया जाता है और तीसरी वरीयता को नोटा के खिलाफ चिह्नित किया जाता है, तो मतपत्र पहली गिनती के लिए और चुनाव के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।

2 दूसरी वरीयता, लेकिन, तीसरी वरीयता की जांच के चरण में, यदि ऐसा चरण आता है, तो मतपत्र को समाप्त माना जाएगा। ये

निर्देश बाद की प्राथमिकताओं के लिए भी लागू होंगे।

(iv) यदि पहली वरीयता और बाद की प्राथमिकताएं, यदि कोई हों, उम्मीदवारों के खिलाफ वैध रूप से चिह्नित की जाती हैं और क्रॉस/टिक चिह्नित किया जाता है

नोटा के खिलाफ, मतपत्र को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा, और उम्मीदवारों के खिलाफ चिह्नित वरीयताओं पर विचार किया जाएगा और तदनुसार गिना जाएगा।

हालाँकि, नियमों के सामान्य प्रावधान और मतदाता की पहचान करने वाले अंकों के बारे में आयोग के निर्देश नोटा विकल्प के खिलाफ निशान के मामले में लागू होंगे, और यदि आरओ मानता है कि उसमें रखा गया निशान उचित रूप से इंगित करता है नियम 73 (2) (डी) के अर्थ के भीतर मतदाता की पहचान, जो मतपत्र को उस आधार पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी बना देगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. राज्य सभा में मतदान करने के लिए मतदाताओं को दिए गए निर्देशों में कहा गया है किः

" 5. बैलेट पेपर में दिखाए गए उम्मीदवारों में से, यदि आप किसी उम्मीदवार को चुनना नहीं चाहते हैं, तो कॉलम में "अपना वरीयता क्रम दिखाएँ", "नोटा" के सामने "1" का आंकड़ा दिखाना आवश्यक है। "नोटा" के सामने के कॉलम में, चित्र "1" के बजाय, वैकल्पिक वरीयता संख्या 2,3,4 आदि भी दिखाए जा सकते हैं।

6. "1" की इस आकृति को केवल एक के नाम के सामने रखा जा सकता है।

उम्मीदवार या "नोटा" के खिलाफ।

18. आलोचना यह है कि परिपत्र 1951 के अधिनियम और नियमों के तहत परिकल्पित प्रक्रिया के अनुसार नहीं हैं। राम जवाया कपूर बनाम पर निर्भरता रखना। पंजाब राज्य 3 और बिशंभर दयाल चंद्र मोहन और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, यह आग्रह किया जाता है कि यह राज्य की शक्ति से परे है

राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए एन. ओ. टी. ए. लागू करने वाला निर्वाचन आयोग, इसमें पहला प्रतिवादी है। जैसा कि हम देखते हैं, चुनाव आयोग ने पी. यू. सी. एल. के मामले में घोषणा को अपनी शक्ति का स्रोत माना है। पी. यू. सी. एल. में निर्णय प्रत्यक्ष चुनावों से संबंधित है।

वास्तव में, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निर्देश संसद और राज्य विधानसभाओं से संबंधित हैं जो निर्वाचन क्षेत्र आधारित हैं और मतदाताओं को नोटा का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान करते हैं। में।

उक्त निर्णय, संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदत्त सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और मतदान केंद्र पर आने और किसी भी उम्मीदवार को वोट देने का निर्णय लेने या वोट न देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक मतदाता की पात्रता पर जोर दिया गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनावों के बीच अंतर रहा है। कुलदिप नायर (ऊपर) में, संविधान पीठ ने इस प्रकार व्यक्त करके अंतर निकाला हैः

" 441. राज्य परिषद के चुनावों में मतदान नहीं किया जा सकता है

आम चुनाव की तुलना में। आम चुनाव में, मतदाताओं को इस डर के बिना गुप्त तरीके से मतदान करना पड़ता है कि उनके वोट किसी को भी बताए जा सकते हैं या पीड़ित हो सकते हैं। कोई पार्टी संबद्धता नहीं है और इसलिए चुनाव पूरी तरह से मतदाता के पास है।

ऐसा तब नहीं होता जब राज्य परिषद के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं क्योंकि निर्वाचक विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं जो बदले में पार्टी से संबद्ध होते हैं।

5 (1955) 2 एससीआर 225

6 (1982) 1 एस. सी. सी. 39 शैलेश मनुभाई परमार बनाम। भारत का चुनाव आयोग [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

और फिर सेः

" 454. "निर्वाचन क्षेत्र-आधारित" के बीच की विशिष्टता

में प्रतिनिधित्व "और" आनुपातिक प्रतिनिधित्व "

प्रतिनिधि लोकतंत्र यह है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के मामले में, सदस्यों का चुनाव दल के आधार पर किया जाता है। वे पार्टी अनुशासन के अधीन हैं। वे होने योग्य हैं

अनुशासन के उल्लंघन के लिए निष्कासित। इसलिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को प्रभावी बनाने के लिए, संसद "खुले मतदान" का सुझाव दे सकती है। ऐसे मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव" "खुले मतपत्र" से हार जाएंगे। के रूप में

ऊपर बताया गया है कि निर्वाचन क्षेत्र आधारित चुनाव में यह जनता होती है

जो मतदान करते हैं जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व में यह है

निर्वाचक जो मतदान करता है। आर. वी. में ऑस्ट्रेलियाई फैसले में भी इस अंतर का संकेत दिया गया है। जोन्स '। निर्वाचन क्षेत्र आधारित प्रतिनिधित्व में, "गोपनीयता" आधार है जबकि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के मामले में आधार हो सकता हैः

" खुला मतपत्र "और यह" स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों "की अवधारणा का उल्लंघन नहीं करेगा, जो अवधारणा लोकतंत्र के स्तंभों में से एक है।

19. उपरोक्त परिच्छेद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनावों के बीच के अंतर पर और विशेष रूप से चुनाव की अवधारणा पर अपार प्रकाश डालते हैं।

अप्रत्यक्ष चुनाव जिसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व शामिल हो। वहाँ खुले मतपत्र द्वारा मतदान होता है और इसे बनाए रखने के लिए इस तरह पेश किया गया है पार्टी अनुशासन के मूलभूत मूल्य और चुनाव प्रक्रिया में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार के क्रॉस वोटिंग से बचना। इन्हें लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल मूल्यों के रूप में माना गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यों की परिषद के सदस्यों के लिए मतदान में, की प्रकृति

निर्वाचक द्वारा मतदान एक गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के चुनाव में पार्टी का व्हिप होता है और मतदाता पार्टी के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होता है। इस तरह के चुनाव में पार्टी का अनुशासन चरम पर है

इसका महत्व है, क्योंकि यही राजनीतिक दलों के अस्तित्व का आधार है। संसदीय लोकतंत्र में यह आवश्यक है। इस तरह के मतदान में क्रॉस वोटिंग और भ्रष्टाचार का विचार अप्रिय है। इस संदर्भ में, हम

रवि एस. नाइक बनाम में प्राधिकरण को लाभ के साथ संदर्भित करें। भारत संघ और अन्य। उक्त मामले में, संविधान की दसवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 191 (2) के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित सवाल उठा। दो-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया गया

(1972) 128 सीएलआर 221

8 1994 एस. सी. सी. 641 [2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किहोतो होल्लोहन बनाम में निर्णय। ज़चिल्लू और अन्य लोगों ने एंथ अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) और 2 (1) (बी) के तहत दलबदल के मुकदमे को संबोधित किया। उक्त अनुच्छेदों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनायाः

... . उक्त अनुच्छेद में किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान है।

किसी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का "यदि उसने स्वेच्छा से

इस तरह के राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ दी। शब्द हैं। " स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ देना "का पर्याय नहीं है

" त्याग "और एक व्यापक अर्थ है। एक व्यक्ति कर सकता है स्वेच्छा से एक राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ दें, भले ही

उन्होंने इसकी सदस्यता से अपना इस्तीफा नहीं दिया है।

जिसका वह मालिक है। " 20. दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) और 2 (1) (बी)

शीर्षक नीचे पढ़ा गया हैः

" 1) पैराग्राफ 4 और 5 के प्रावधानों के अधीन, एक सदस्य

किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा

सदन का सदस्य होना

(क) यदि उसने स्वेच्छा से ऐसी राजनीतिक सदस्यता छोड़ दी है।

पार्टी; या

((ख) यदि वह इसके विपरीत ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है -

उस राजनीतिक दल द्वारा जारी किया गया कोई निर्देश जिससे वह संबंधित है या

इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा, बिना

किसी भी मामले में, ऐसे राजनीतिक दल की पूर्व अनुमति प्राप्त करना,

व्यक्ति या प्राधिकारी और इस तरह के मतदान या बहिष्कार नहीं किया गया है

पंद्रह के भीतर ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा माफ किया गया

स्पष्टीकरण-इस उप-अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, (क) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य उस राजनीतिक दल, यदि कोई हो, का सदस्य समझा जाएगा, जिसके द्वारा उसे ऐसे सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया गया था।

((ख) किसी सदन का कोई मनोनीत सदस्य,

पूरक (2) एस. सी. सी. 651 शैलेश मनुभाई परमार बनाम। भारत का चुनाव आयोग [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

((i) जहां वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने नामांकन की तारीख को किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, वहां उसे ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य माना जाएगा।

पार्टी;

((ख) किसी अन्य मामले में, यह समझा जाए कि वह उस राजनीतिक दल से संबंधित है जिसका वह सदस्य बन जाता है, या, जैसा भी मामला हो, अनुच्छेद की आवश्यकताओं का पालन करने के बाद अपनी सीट लेने की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले सदस्य बन जाता है। 99 या, जैसा भी मामला हो, अनुच्छेद 188 "।

21. उसमें अपीलकर्ताओं को गोवा विधान सभा (आधार पर अयोग्यता) के तहत सदन के अध्यक्ष द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

दलबदल) नियम, 1986। अयोग्यता के पहलू से निपटने के लिए, अदालत ने फैसला सुनाया किः

" एक उम्मीदवार स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ देता है और उसके आचरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है। इस्तीफे और स्वेच्छा के बीच अंतर किया गया है।

त्याग करते हैं।

22. यह स्पष्ट है कि एक निर्वाचक को अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह स्वेच्छा से राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ देता है। डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि किसी विशेष दल से संबंधित कोई मतदाता स्वेच्छा से सदस्यता नहीं छोड़ सकता है, लेकिन वह अपनी सदस्यता का प्रयोग कर सकता है।

उनके राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार स्थापित करने के बावजूद नोटा का चुनाव। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा करता है और खरीद-फरोख्त, भ्रष्टाचार और अतिरिक्त संवैधानिक तरीकों का उपयोग करता है जिनसे संविधान (पचास-दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची को लागू करने से बचने की कोशिश की गई थी। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त संशोधन राजनीतिक दलबदल की बुराई को खत्म करने के लिए पेश किया गया था। उक्त संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार प्रदान करता हैः

" राजनीतिक दलबदल की बुराई राष्ट्रीय चिंता का विषय रही है। यदि इसका मुकाबला नहीं किया जाता है, तो यह हमारे लोकतंत्र की नींव और इसे बनाए रखने वाले सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है। इस उद्देश्य के साथ, संसद में राष्ट्रपति के संबोधन में एक आश्वासन दिया गया था कि सरकार [2018] 10 एस. सी. आर. लागू करने का इरादा रखती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद के वर्तमान सत्र में एक दलबदल विरोधी विधेयक। यह विधेयक दलबदल को गैरकानूनी घोषित करने और उपरोक्त आश्वासन को पूरा करने के लिए है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन और दलबदल को खारिज करने के लिए अयोग्यता की अवधारणा की गहन जांच पर, यह स्पष्ट है कि

इसे अप्रत्यक्ष रूप से नोटा की शुरुआत से पराजित किया जाता है। 23. लोकतंत्र में चुनाव की शुद्धता स्पष्ट रूप से अनिवार्य है। लोकतांत्रिक निकाय राजनीति, जैसा कि मनोज नरूला बनाम में आयोजित किया गया है। संघ

भारत का अनुच्छेद 0, यह निर्धारित करता है कि लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट विचार भ्रष्टाचार के लिए घृणित है और कानून संवैधानिक नैतिकता की निरंतर पुष्टि द्वारा वास्तविक व्यवस्था, सकारात्मक औचित्य, समर्पित अनुशासन और आशावादी पवित्रता की व्यापकता पर जोर देते हैं जो सुशासन का स्तंभ है। लोकतंत्र की शुद्धता ऐसी किसी भी चीज का सामना नहीं करती है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ में एक लाइलाज खाई पैदा करने की क्षमता हो। कानून का उद्देश्य इसे समाप्त करना है। जब कोई राज्य परिषद की मतदान प्रक्रिया में नोटा की पसंद के अभ्यास का विश्लेषण करता है जहां खुले मतपत्र की अनुमति है और मतदान की गोपनीयता है

इसके लिए कोई जगह नहीं है और इसके अलावा जहां राजनीतिक दल/दलों का अनुशासन मायने रखता है, यह स्पष्ट है कि इस तरह के विकल्प का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अ.

निर्वाचक, हालांकि एक एकल मतदाता है, उसके वोट का एक मात्रात्मक मूल्य है और अधिशेष वोट हस्तांतरणीय हैं। के लिए एक सूत्र मौजूद है

वोट का मूल्य निर्धारित करना। वोट के हस्तांतरणीय होने की अवधारणा का एक अलग अर्थ है। यह आगे कहा जाना चाहिए कि एक उम्मीदवार निर्वाचित होने के बाद राज्य का प्रतिनिधि बन जाता है और किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इन सभी का संचयी प्रभाव पहलू स्पष्ट रूप से बताते हैं कि राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया में नोटा की शुरुआत एक अभिशाप होगा

लोकतंत्र की मूल कसौटी जो संविधान की एक मूल विशेषता है। यह बिना किसी विरोधाभास के भय के कहा जा सकता है कि पी. यू. सी. एल. के निर्णय के आधार पर निर्वाचन आयोग, जिसमें पहला प्रतिवादी है, द्वारा परिकल्पित नोटा को लागू करने के प्रावधान बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि उक्त निर्णय ऐसा नहीं कहता है। हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि अनुच्छेद 80 में निहित संवैधानिक प्रावधानों और संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत प्रदान की गई शर्तों को ध्यान में रखते हुए निर्णय भी ऐसा नहीं कह सकता था। इस तरह के चुनाव में नोटा की शुरुआत न केवल उस अनुशासन के विपरीत होगी जो दसवीं अनुसूची के तहत एक मतदाता से अपेक्षित है

10 (2014) 9 एस. सी. सी. 1 शैलेश मनुभाई परमार बनाम। भारत का चुनाव आयोग [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

संविधान के लिए लेकिन मूल व्याकरण के प्रतिकूल भी हो

दलबदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता की विधि। यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जो सीधे नहीं किया जा सकता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। विस्तार से, यदि राज्यों की परिषद के सदस्यों के चुनाव में नोटा की अनुमति दी जाती है, तो दलबदल का निषिद्ध पहलू अप्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक जोश के साथ शुरू होगा।

24. हम लाभ के साथ यह भी जोड़ सकते हैं कि पी. यू. सी. एल. के मामले में एन. ओ. टी. ए. को लागू करने का उद्देश्य यह है कि नकारात्मक मतदान का प्रावधान किया जा सकता है।

राजनीतिक दलों को एक स्पष्ट संदेश दें कि एक मतदाता क्या सोचता है

मैदान में उम्मीदवारों के बारे में। इस प्रकार, उक्त निर्णय सीधे चुनाव, एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य से संबंधित है।

25. इस संदर्भ में, हम उपयोगी रूप से संविधान के अनुच्छेद 324 का उल्लेख कर सकते हैं। वह इस प्रकार हैः

" 324. निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण

एक चुनाव आयोग में निहित
(1) संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए और इस संविधान के तहत आयोजित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा (जिसका उल्लेख इसमें किया गया है)।

चुनाव आयोग के रूप में संविधान)

(3) जब कोई अन्य चुनाव आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
(4) लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले, और पहले आम चुनाव से पहले और उसके बाद ऐसी परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के प्रत्येक द्विवार्षिक चुनाव से पहले, राष्ट्रपति चुनाव आयोग के साथ परामर्श करने के बाद ऐसे क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है जिन पर वह विचार करे।

खंड (1) द्वारा आयोग को प्रदत्त कार्यों के निष्पादन में निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक (5) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सेवा की शर्तें और चुनाव के पद का कार्यकाल

आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्त ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे; बशर्ते कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों और मुख्य चुनाव की सेवा की शर्तों के अलावा अपने पद से नहीं हटाया जाएगा।

आयुक्त को उसके बाद उसके नुकसान के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा

नियुक्तिः बशर्ते कि कोई अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा पद से नहीं हटाया जाएगा।

(6) राष्ट्रपति, या किसी राज्य का राज्यपाल, चुनाव आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर, उन्हें उपलब्ध कराएगा -

निर्वाचन आयोग या किसी क्षेत्रीय आयुक्त को ऐसे कर्मचारी जो सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

निर्वाचन आयोग पर खंड (1) द्वारा "

26. उक्त अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए, कुलदिप आर (उपरोक्त) में संविधान पीठ ने निर्णय दियाः

" 427. इस संदर्भ में, हम कहेंगे कि जहां इस विषय पर कानून चुप है, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के घोषित उद्देश्य के लिए कार्य करने की शक्ति का भंडार है

एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए, और इस दृष्टिकोण में यह एक सलाहकार की भूमिका भी ग्रहण करता है। लेकिन अनुच्छेद 327 के तहत कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है, जो सर्वोच्च है और इसलिए ऐसी सलाह से बाध्य नहीं है। हम इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर देंगे कि यह न्यायालय पहले ही मोहिंदर सिंह गिल (1978) 1 एस. सी. सी. 405 में क्या कह चुका है और यहां जो दोहराया जा सकता है वह यह है कि चुनाव आयोग के "पूर्ण चरित्र" के प्रयोग की सीमाओं में एक प्रभाव शामिल है कि "जब संसद या किसी राज्य विधानमंडल ने

चुनाव से संबंधित या उसके संबंध में वैध कानून बनाया गया, आयोग, इसके अनुरूप कार्य करेगा, जिसका उल्लंघन नहीं करेगा।

प्रावधान "शैलेश मनुभाई परमार बनाम। भारत का चुनाव आयोग [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

उपरोक्त परिच्छेद से यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग को चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए कानून के चार कोनों के भीतर काम करना होगा।

या, उस मामले के लिए, एक अलग आयाम के बारे में सोचें जो कानूनी ढांचे में फिट नहीं होगा। 27. यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग द्वारा नोटा की शुरुआत के संबंध में लिया गया निर्णय

राज्य परिषद के लिए सदस्यों का चुनाव भी यहाँ ऊपर जो कहा गया है, उसके विपरीत है। नोटा इस अवधारणा को नष्ट कर देगा

वोट और प्रतिनिधित्व का मूल्य और दलबदल को प्रोत्साहित करना जो भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे खोलेगा जो एक घातक विकार है। यह याद रखना होगा कि लोकतंत्र नागरिकों के विश्वास से अपनी ताकत हासिल करता है जो केवल शुद्धता, अखंडता के बुनियादी स्तंभों पर कायम रहता है। ईमानदारी और ईमानदारी और इस तरह के गढ़ को केवल यह सुनिश्चित करके बनाए रखा जा सकता है कि चुनाव की प्रक्रिया बेदाग और अप्रदूषित रहे

ताकि लोकतंत्र का गढ़ बेईमान ताकतों के खिलाफ एक अभेद्य गढ़ के रूप में खड़ा हो। अप्रत्यक्ष रूप से नोटा की शुरुआत

चुनाव पहली नज़र में बुद्धि को लुभा सकते हैं लेकिन गहन जांच पर, यह जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि यह इस तरह के चुनाव में एक मतदाता की भूमिका को पूरी तरह से अनदेखा करता है और लोकतांत्रिक मूल्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। लाभ के साथ यह कहा जा सकता है कि विचार आकर्षक लग सकता है लेकिन इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग अप्रत्यक्ष चुनाव में निहित निष्पक्षता को हरा देता है। इससे भी अधिक जहां निर्वाचक के वोट का मूल्य है और वोट का मूल्य हस्तांतरणीय है। यह एक अमूर्तता है जो कृष्ण अय्यर, जे. से एक अभिव्यक्ति उधार लेने के लिए, "ठोसता का ब्रह्मांड" की जांच का सामना नहीं करती है। हम तुरंत यह जोड़ सकते हैं कि नोटा का विकल्प प्रत्यक्ष चुनावों में एक अमृत के रूप में काम कर सकता है, लेकिन राज्यों की परिषद के चुनाव के संबंध में, जो कि ऊपर चर्चा के अनुसार एक अलग है, यह न केवल लोकतंत्र की शुद्धता को कमजोर करेगा, बल्कि दलबदल और भ्रष्टाचार के शैतान की भी सेवा करेगा।

28. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और राज्य परिषद के चुनावों के संबंध में एन. ओ. टी. ए. शुरू करने वाले निर्वाचन आयोग, जिसमें इसमें प्रथम प्रतिवादी हैं, द्वारा जारी किए गए परिपत्रों को निरस्त कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

लिखित

याचिका की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी